भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5502
उत्तर देने की तारीख: 03.04.2025

तेलंगाना में आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

5502. डॉ. कडियम काव्य:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तेलंगाना के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार और जिला-वार कितनी आदिवासी महिला लाभार्थियों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एएमएसवाई के अंतर्गत प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार विशेषकर तेलंगाना के लिए ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को सहायता दी गई और उनकी सफलता दर क्या है; और

(घ) इन गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण देकर क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी को वारंगल जिले सहित तेलंगाना राज्य में आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन (तेलंगाना) के माध्यम

से एसएचजी सदस्यों के लिए सूक्ष्म वित्त योजना (माइक्रो फाइनेंस स्कीम) के तहत 38,025 महिला लाभार्थियों को कवर करते हुए 152.10 करोड़ रूपये संवितरित किए हैं। एएमएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) एएमएसवाई के अंतर्गत गतिविधियों के प्रकार हैं बकरी पालन, सिलाई, रसोई बागवानी, अदरक, आलू की खेती, सुपारी की खेती, लघु व्यवसाय, सूअर पालन आदि। मंत्रालय या एनएसटीएफडीसी ने एएमएसवाई पर कोई अनन्य रूप से अध्ययन नहीं किया है, हालांकि, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) के द्वारा 2020 में स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता के प्रभाव के संबंध में अनन्य रूप से तेलंगाना के लिए एक अध्ययन किया गया था। उक्त अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- स्त्री निधि ऋणों के परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं की औसत वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। स्त्री निधि उधारकर्ताओं के सर्वेक्षण में पाया गया कि गैर-अजजा उधारकर्ताओं में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा अजजा उधारकर्ताओं में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सर्वेक्षण की गणना से पता चला है कि स्त्री निधि का अन्य कार्यक्रमों की तुलना में विकासात्मक सूचकांकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। स्त्री निधि उधारकर्ताओं ने गैर-स्त्री निधि उधारकर्ताओं की तुलना में विभिन्न विषयों जैसे कि भोजन और गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे तक पहुंच, आदि पर उच्च संतुष्टि की सूचना दी है।
- स्त्री निधि के आईवीआरएस के उपयोग से वित्तीय समावेशन पर, विशेष रूप से अजजा समुदाय के बीच, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। संगठन प्रभावी रूप से इस जनसंख्या तक पहुंच रहा है, तथा बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल से वंचित लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान कर रहा है।
- आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, स्त्री निधि की वसूली दर (99.1 प्रतिशत) गैर-स्त्री निधि उधारकर्ताओं की 92.4 प्रतिशत दरों की तुलना में अधिक थी।
- गरीबी उन्मूलन के अपने उद्देश्य के अलावा, स्त्री निधि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। यह रोजगार और संबंधित अवसर प्रदान करके ऐसा करता है।

(घ) एनएसटीएफडीसी को तेलंगाना राज्य में कोई प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 03.04.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5502 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

एएमएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	छत्तीसगढ़					74.06	41				
2	हिमाचल प्रदेश	20.00	50					8.00	20		
3	जम्मू एवं कश्मीर			90.00	50	86.40	48	180.00	200	23.40	13
4	झारखंड	21.25	25							150.00	1131
5	कर्नाटक			792.14	1109	119.16	150				
6	केरल	9.90	22	29.05	23	205.01	220	252.60	266	220.00	164
7	महाराष्ट्र	216.00	240					194.40	216	298.80	166
8	ओडिशा			219.98	250						
9	राजस्थान	460.80	512								
10	त्रिपुरा									36.00	20
11	पश्चिम बंगाल	30.51	287	6.35	35	14.64	105	9.09	80	14.62	334
		758.46	1136	1137.52	1467	499.27	564	644.09	782	742.82	1828

*****